>

Title: Need for inclusion of Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution of India.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं आज इस देश में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जिसका नाम भोजपुरी भाषा है, उसके दर्द को लेकर खड़ा हुआ हूं। भोजपुरी मेरी मातृभाषा रही है। मैं भोजपुरी माटी में पैदा हुआ। मैं भले ही आज मुम्बई में रहता हूं और मुम्बई में मेरे जैसे पचास लाख लोग भोजपुरी बोलने वाले रहते हैं।...(व्यवधान) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। सिर्फ बिहार में लगभग 8 करोड़ भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, यूपी में लगभग 7 करोड़ भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। अगर हिन्दुस्तान से बाहर देखें, तो कई देश हैं जहां बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली जाती है, मसलन नेपाल, मॉरीशियस, ब्रिटेन, अमरीका, सिंगापुर, हॉलैंड, फिज़ी, गयाना, सूरीनाम, युगांडा, त्रिनिदाद, टोबैगो तथा और भी तमाम देश हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब एक बार सर्वे किया तो पाया गया कि लगभग साढ़े पन्द्रह करोड़ लोग पूरी दुनिया में भोजपुरी बोलने वाले हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया संक्षेप में बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा।

मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस देश के पहले राष्ट्रपति भोजपुरी भाषी थे। इस देश ने जो बड़े-बड़े महापुरुष दिए, जैसे बाबू जगजीवन राम, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री चंद्रशेखर या आज की लोक सभा अध्यक्षा, सब भोजपुरी भाषी हैं। कोलकाता यूनीवर्सिटी, पटना यूनीवर्सिटी में भोजपुरी की पढ़ाई होती है और मॉरीशियस जैसे देश में भोजपुरी को मान्यता प्राप्त है। भोजपुरी का अपना साहित्य है, भोजपुरी का अपना सिनेमा है, भोजपुरी का गीत-संगीत है, भोजपुरी का अपना एक नाटक है। ऐसे में बार-बार भोजपुरी समाज की तरफ से मांग उठती है कि भोजपुरी भाषा को भी संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक यह काम नहीं हुआ है। भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सन् 2006 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल ने लोक सभा में बताया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद शिवराज पाटिल साहब, जो उस समय के केन्द्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद बयान दिया कि भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।...(व्यवधान) मेरे कहने का आशय है कि एक ऐसी भाषा जिसका एक अपना सांस्कृतिक इतिहास रहा है, बड़ी समृद्ध परम्परा रही है, जितनी जल्दी हो, भारत सरकार इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे ताकि करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में भोजपुरी बोलते हैं, मुझे आपको बताकर खुशी हो रही है कि जिस दिन भोजपुरी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी, उस दिन मैं भोजपुरी बोलने के लिए अधिकृत हो जाऊंगा।...(व्यवधान)

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा - अगर हिन्दी हमनी के आनबा तो भोजपुरी असली पहचानबा। इसलिए भोजपुरी का मान-सम्मान और पहचान बढ़ाने के लिए इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

MR.CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, please take your seat. There is no provision for a point of order in the 'Zero Hour'. Shri Jagdambika Pal is also associating with the views expressed by Mr. Nirupam. That will be on record. If anybody wants to associate with this, he or she can send in his or her slip. I am calling the next speaker, Shri Rewati Raman Singh.

...(*Interruptions*)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I am on a point of order...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : No point of order.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please. Anybody who wants to associate may send in the slip.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No Member is allowed to speak on this, please.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take you seats. I have called Shri Rewati Raman Singh. I have given the ruling.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय :

सर्वश्री रेवती रमन सिंह,

शैलेन्द्र कुमार,

सैयद शाहनवाज हुसैन,

जय प्रकाश अग्रवाल,

सतपाल महाराज,

महाबल मिश्रा,

मंगनी लाल मंडल,

कीर्ति आजाद,

अर्जुन राम मेघवाल,

हर्षवर्धन,

पन्ना लाल पुनिया,

कमल किशोर कमांडो,

रमाशंकर राजभर,

तूफानी सरोज,

महेश्वर हजारी,

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय,

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा

श्रीमती सुशीला सरोज भी इस विषय से अपने को सम्बद्ध करती हैं।